न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी हनुमान सहाय मीना.आई.ए.एस.

,अपील संख्या : 23/2019 एल.आर. एक्ट

हनुमानाराम पुत्र भीवाराम जाति विश्नोई, निवासी सी–232 मुरलीधर व्यास नगर बीकानेर तहसील व जिला बीकानेर राजस्थान जरिये मुखत्यार आम रवि पुत्र हनुमानाराम जाति विश्नोई निवासी सी–232 मुरलीधर व्यास नगर बीकानेर तहसील व जिला बीकानेर।

अपीलान्ट्

बनाम

1. गिरधारीलाल पुत्र स्व. मानमल जाति अग्रवाल सराफ निवासी रतनगढ जिला चूरू राजस्थान हाल मुम्बई जरिये मुखत्यारआम निरंजनकुमार पुत्र रामेश्वरलाल जाति अग्रवाल भूखरेडिया निवासी रतनगढ जिला चूरू।
2. तहसीलदार रतनगढ एवं उप पंजीयक रतनगढ जिला चूरू।
3. जिला कलेक्टर चूरू।

रेस्पोडेन्टस

उपस्थित :– श्री राजेश बैद – अभिभाषक अपीलांट्
श्री सुभाष सहू – राजकीय अभिभाषक

निर्णय

दिनांक 29–01–2020

1. यह अपील भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत जिला कलक्टर चूरू के निर्णय दिनांक 24–07–2019 के विरूद्ध पेश हुई है।
2. अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा तहसीलदार रतनगढ के नामान्तरणकरण संख्या 2825 दिनाक 23.12.2015 के विरूद्व जिला कलक्टर चूरू मे अपील पेश कर निवेदन किया कि कस्बा रतनगढ की रोही में खसरा नम्बर 491 की भूमि अपीलान्ट के पूर्वज परमानन्द सराफ को तालाब के पायतन, कुआ, बावड़ी, छतरी, धर्मशाला आदि के लिए तत्कालीन बीकानेर रियासत के माहाराजा द्वारा आवंटित हुई थी। अपीलाधीन आदेश दिनांक 23.12.2015 बिना सुनवायी का अवसर दिये गलत रूप से एकतरफा तौर पर पारित किया गया है। अतः अपीलाधीन नामान्तरणकरण संख्या 2825 दिनांक 23.12.2015 रोही रतनगढ निरस्त करने का

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

निवेदन किया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 24–07–2019 द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की अपील स्वीकार कर नामान्तरकरण संख्या 2825 दिनांक 23.12.2015 को खारिज कर तहसीलदार रतनगढ को निर्देशित किया कि कस्बा रतनगढ के खसरा नम्बर 856 की भूमि की किस्म पूर्व राजस्व रिकोर्ड के अनुसार पायतन दर्ज की जावे, जिसके विरूद्व अपीलान्ट ने यह अपील पेश की है।

3. उक्त आदेश के विरूद्व यह अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर, रेस्पोडेंन्ट एवं अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को जरिये सम्मन सूचित किये जाने के बाद भी उपस्थित नही हुवे ।

4. अपीलान्ट के अभिभाषक की बहस सुनी गई। अपीलांट के विद्वान अभिभाषक ने बहस के दौरान अपील मीमो के बिन्दुओं को दोहराते हुये तथा लिखित बहस पेश कर कहा कि अपीलान्ट ने जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र वादगत भूमि खसरा नं. 856 तादादी 2.10 बीधा वाकेरोही रतनगढ को खातेदार श्री सुरेन्द्र कुमार व राजेन्द्र कुमार से सप्रतिफल खरीद कर कब्जा प्राप्त किया है। इसके बाद अपीलान्ट के नाम से नामान्तरकरण संख्या 2825 दिनाक 23.12.2015 दर्ज किया गया। अपीलान्ट के हक मे हुए विक्रय पत्र आज तक किसी भी सक्षम न्यायालय द्वारा निरस्त नही किया गया है। करीब 150 वर्षो पूर्व कस्बा रतनगढ की पूर्वी दिशा में गौशाला संस्थान से पहले स्व. श्री परमानन्द जी सर्राफ ने तत्कालीन रियासत से करीब 251 बीधा कच्चा जमीन प्राप्त की थी जिसके बन्दोबस्ती खसरा नं. 491 तादादी 144.12 बीधा पक्के बनाये गये। उक्त जमीन परमानन्द सराफ के वंशजो के व्यक्तिगत उपयोग–उपभोग एवं जनहितार्थ के लिये काम मे ली जाती रही है। वादगत भूमि कभी भी पायतन के रूप मे ना तो काम मे ली गई, ना ही किसी राजस्व रिकोर्ड मे पायतन दर्ज रही। अधीनस्थ न्यायालय का आदेश पूर्णत मनमाना एव स्वेच्छाचारी होने से निरस्त करने योग्य है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावे तथा नामान्तरकरण संख्या 2825 दिनांक 23.12.2015 को यथावत रखे जाने के आदेश प्रदान करे।

माननीय आयुक्त
बीकानेर

5. राजकीय अभिभाषक ने बहस के दौरान कहा कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय सही हैं । अतः अपील अपीलांट खारिज की जावें।

6. हमने बहस पर मनन करते हुवे उपलब्ध दस्तावेजात, एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन/ अध्ययन किया। न्यायालय का निर्णय इस प्रकार है।

    1. अभिभाषक अपीलान्ट का मुख्य कथन है कि उसने उक्त भूमि रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से सप्रतिफल खरीद की है, विक्रय पत्र को किसी भी संक्षम न्यायालय ने निरस्त नही किया है। इसके अलावा उन्होने वादगत भूमि को पायतन नही होना बताया।
    2. मिसल बन्दोबस्त सम्मत् 2025 मे खसरा नं. 256 तादादी 2.10 बीधा बरानी दोयम खातेदार दर्ज रही।
    3. अभिभाषक अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज व पत्रावली मे उपलब्ध दस्तावेज के अवलोकन करने पर हम इस मामले मे विस्तृत जांच करवाना उचित समझते है।
    4. अतः अपीलान्ट की अपील आंशिक स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर चूरू का निर्णय दिनाक 24–07–2019 निरस्त किया जाता है, तथा प्रकरण जिला कलक्टर चूरू को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि विवादित भूमि पायतन है अथवा नही है के संदर्भ में पुनः विस्तृत जांच कर विधि सम्मत निर्णय पारित करे।

तदनुसार अपील निर्णित शुमार हो। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 29–01–2020 को लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(हनुमान सहाय मीना)
संभागीय आयुक्त,
बीकानेर